142

सं0 भा.स.148 /IV(2)-श0वि0–11–05(एन0यू0आर0एम0)/08

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक–20 सितम्बर, 2011

विषयः–जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत देहरादून शहर के 16 चौराहों के सुधार हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या भा0स0–65/IV–श0वि0–09–05 (एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 20–3–2009 एवं शासनादेश संख्या भा0स0–98/IV(2)–श0वि0–11–05(एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 15–1–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत देहरादून शहर के चौराहों के सुधार की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 ₹ 2943.00 लाख के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश तथा राज्यांश सहित कुल ₹ 735.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा शासनादेश दिनांक 15–6–2011 द्वारा कुल अवशेष राज्यांश ₹ 441.45 लाख अवमुक्त किया गया था।

2– उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार की केन्द्रीय संस्तुति एवं मानिटरिंग कमेटी की दिनांक 21–6–2011 को हुई 97वीं बैठक में देहरादून के 16 चौराहों के सुधार की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 ₹ 2757.91 लाख की संस्तुति प्रदान की गयी है, जिसमें कुल केन्द्रांश ₹ 2206.32 लाख तथा कुल राज्यांश ₹ 551.59 लाख होता है तथा परियोजनान्तर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹ 293.93 लाख अवमुक्त किया गया है।

3– उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 20–3–2009 द्वारा राज्यांश ₹ 147.15 लाख तथा शासनादेश दिनांक 15–6–2011 द्वारा कुल अवशेष राज्यांश ₹ 441.45 लाख, इस

प्रकार कुल रू0 588.60 लाख राज्यांश अवमुक्त किया जा चुका है, जबकि पुनरीक्षित संस्तुत डी0पी0आर0 के अनुसार कुल राज्यांश ₹ 551.59 लाख होता है। इस प्रकार ₹ 37.01 लाख राज्यांश अधिक अवमुक्त हो गया है।

4– उपरोक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(1)/PFI/2011-444 दिनांक 27–7–2011 द्वारा उपरोक्त परियोजना हेतु द्वितीय किस्त ₹ 293.93 लाख की अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश ₹ 293.93 लाख के सापेक्ष प्रस्तर–3 में उल्लिखित राज्यांश की अधिक धनराशि ₹ 37.01 लाख को कम करते हुए देय समस्त अवशेष धनराशि **₹ 256.92 लाख (₹ दो करोड़ छप्पन लाख ब्यानवें हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **₹ 256.92 लाख (₹ दो करोड़ छप्पन लाख ब्यानवें हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित **कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त धनराशि को अपने पी0एल0ए0 खाते में रखी जायेगी।
2. योजनान्तर्गत कुल राज्यांश के सापेक्ष उक्तानुसार अवशेष राज्यांश की धनराशि इस आशय से अवमुक्त की जा रही है कि इस धनराशि के विपरीत भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश को शीघ्र प्राप्त कर योजना को समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या भा0स0–65/IV–श0वि0–09–05(एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 20–3–2009 एवं शासनादेश संख्या भा0स0–98/IV(2)–श0वि0–11–05 (एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 15–1–2011 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगाा।
5. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

8. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

9. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

10. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

11. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

5– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 438/XXVII(2)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।